

सं. 05/04/2025 – रा. भा. (सेवा)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय/ राजभाषा विभाग

एनडीसीसी -II भवन,
बी विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली – 110 001
दिनांक: 13 नवम्बर, 2025

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के निम्नलिखित वरिष्ठ अनुवाद अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शाये गए मंत्रालय/ विभाग में तैनात किया जाता है:

क्र.सं.	नाम / पदनाम	वर्तमान तैनाती	तैनाती का कार्यालय
1.	सुश्री अर्पिता भट्टाचार्य, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), कार्यालय	शिक्षा मंत्रालय
2.	सुश्री खुशबू, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), कार्यालय	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

2. सुश्री अर्पिता भट्टाचार्य एवं सुश्री खुशबू, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारियों के स्थानांतरण के संबंध में दिनांक 17 नवम्बर, 2025 पूर्वाह्न से स्वतः कार्यमुक्त (Stand Relieved) के आदेश जारी किए जाते हैं। दिनांक 17 नवम्बर, 2025 पूर्वाह्न से कार्यमुक्त ना होने की स्थिति में भी उन्हें स्वतः ही कार्यमुक्त समझा जाएगा।

3. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), कार्यालय से अनुरोध है कि सुश्री अर्पिता भट्टाचार्य एवं सुश्री खुशबू, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करते हुए उनकी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने का निदेश दें तथा इनकी सेवापंजी, एलपीसी इत्यादि दस्तावेज संबंधित मंत्रालय/ विभाग में सीधे भिजवा दिए जाएं। आदेश की एक प्रति इस विभाग को भी अग्रेषित की जाए।

4. यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



(राजेश कुमार)

सहायक निदेशक (सेवा)

दूरभाष: 011 - 23438078

सेवा में,

1. अवर सचिव (प्रशासन/ स्थापना), विकास आयुक्त हस्तशिल्प का कार्यालय, शिल्प भवन, प्लॉट नं. 08, वसंत कुंज, नई दिल्ली – 110 070
2. अवर सचिव (प्रशासन/स्थापना), शिक्षा मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. अवर सचिव (प्रशासन/स्थापना), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4. सुश्री अर्पिता भट्टाचार्य, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, विकास आयुक्त हस्तशिल्प का कार्यालय, शिल्प भवन, प्लॉट नं. 08, वसंत कुंज, नई दिल्ली – 110 070
5. सुश्री खुशबू, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, विकास आयुक्त हस्तशिल्प का कार्यालय, शिल्प भवन, प्लॉट नं. 08, वसंत कुंज, नई दिल्ली – 110 070
6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राजभाषा विभाग, एनआईसी, कृपया कार्यालय आदेश को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करें।
7. गार्ड फाइल।
